न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 25/2015

बृजमोहन पुत्र श्री मोडूलाल जाति मीणा निवासी हरसोली तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

♠ बनाम ♠

1. देवलाल पुत्र गोरू जाति भील निवासी हरसोली तहसील मांगरोल जिला बारां हाल मुकाम रेलवे स्टेशन के पास अन्ता, जिला बारां
2. धनपाल पुत्र जग्गा जाति भील निवासी हरसोली तहसील मांगरोल जिला बारां
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादी : श्री लिहाज हुसैन अंसारी
वकील प्रतिवादीगण : श्री बुद्धि प्रकाश मालव, श्री महेन्द्र सिंह हाडा
दायरा दिनांकः 24.03.2015 निर्णय दिनांक : 06.11.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के कब्जे एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम हरसोली तहसील मांगरोल की खाता संख्या 61 व खसरा नं0 15 रकबा 0.28 है0, खसरा नं0 215 रकबा 1.82 है0, खसरा नं0 315 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 324 रकबा 0.04 है0 कुल किता 4 रकबा 2.19 है0 स्थित है जिसकी पुष्टि जमाबंदी सम्वत 2068 से 2071 से होती है। जिसमें खसरा नं0 15 रकबा 0.28 है0 आराजी विवादग्रस्त है। प्रतिवादीगण की आराजी वादी की आराजी खसरा नं0 15 रकबा 0.28 है0 से लगवा स्थित है। प्रतिवादीगण प्रभावशाली व झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो आये दिन वादी की आराजी की मेढ तोडकर वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करते है। जिसका कि उन्हे कोई वैधानिक अधिकार नही है। पूर्व में प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी को अनाधिकृत प्रवेश कर हांक लिया था। जिसकी वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 447, 379 आई0पी0सी0 केस नं0 334/94 में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें प्रतिवादीगण ने वादी से राजीनामा दिनांक 08.08.2000 को कर कहा था कि अब हम भविष्य में आपकी आराजी पर कब्जा नही करेंगे। प्रतिवादीगण के मन में दुबारा से बदनियति आ जाने से प्रतिवादीगण ने कहां कि पूर्व के राजीनामा को हम नही मानते इसलिए वादी प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी व नालिशी है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 61 की खसरा नं0 15 रकबा 0.28 है0 आराजी ग्राम हरसोली तह0 मांगरोल में वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा व दखलअंदाजी ना तो स्वयं करें और नही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 24.03.2015 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया जिसकी तामिली प्रति शामिल फाईल है। प्रतिवादी कम की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिहं हाडा व प्रतिवादीगण 2 की ओर से अधिवक्ता श्री बुद्धि प्रकाश मालव ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण कम 1 व 2 द्वारा आज दिनांक तक जवाब दावा प्रस्तुत नही किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा आज दिनांक तक जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब बन्द किया गया। दिनांक 22.10.2018 को प्रतिवादीगण कम 1 व 2 असालतन व वकालतन अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। पत्रावली में दिनांक 06.11.2018 को वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र में निवेदन किया है कि उसकी कब्जे व खाते की आराजी ग्राम हरसोली में आराजी खसरा नं0 15 रकबा 0.28 है0 में प्रतिवादी कम 1 व 2 बदनियति रखता है एवं वादी को काश्त करने में दखलअंदाजी करता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादी कम 1 देवलाल पुत्र गोरू जाति भील निवासी हरसोली व प्रतिवादी कम 2 धनपाल पुत्र जग्गा जाति भील निवासी हरसोली को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादी की कब्जे व खाते की आराजी ग्राम हरसोली में आराजी खसरा नं0 15 रकबा 0.28 है0 में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं करें और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें व वादी को शांति पूर्वक काश्त करने देवें। प्रतिवादी कम 3 तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) को आदेश दिया जाता है कि वादी व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में मौके पर वादी की खाते व कब्जे की आराजी खसरा नं0 15 रकबा 0.28 है0 का सीमाज्ञान करवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुन